2016 का विधेयक संख्यांक 17

[दि इलेक्शन लाज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और
परिसीमन अधिनियम, 2002
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 2

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का संशोधन

धारा 9 का संशोधन

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 1950 का 43

"(ग) संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन करना, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।" ।

अध्याय 3

परिसीमन अधिनियम, 2002 का संशोधन

धारा 11 का संशोधन ।

3. परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 2002 का 33

"परंतु निर्वाचन आयोग, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, 31 जुलाई, 2015 से भारत की एक सौ ग्यारह बस्तियों और बांग्लादेश की इक्यावन बस्तियों के आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप, उक्त आदेशों में ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो सुसंगत क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करके तथा उसमें से सुसंगत क्षेत्रों को अपवर्जित करके उक्त आदेशों को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 2015 से इक्यावन बांग्लादेशी बस्तियों का भारतीय राज्यक्षेत्र में और एक सौ ग्यारह भारतीय बस्तियों का बांग्लादेशी राज्यक्षेत्र में आदान-प्रदान हुआ था ।

2. इसके परिणामस्वरूप, पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार ने तत्कालीन इक्यावन बांग्लादेशी बस्तियों के क्षेत्र का, उनमें से कुछ को विद्यमान मौजा में और कुछ को नए मौजों का सृजन करके समामेलन करने के लिए 26 अगस्त, 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी । भारत और बांग्लादेश द्वारा आयोजित एक संयुक्त क्षेत्रीय दौरे के दौरान, यह अभिनिश्चित किया गया था कि अब भारतीय राज्यक्षेत्र में समामेलित तत्कालीन बांग्लादेशी बस्तियों में रह रहे सभी चौदह हजार आठ सौ चौंसठ व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता अर्जित करने का विकल्प लिया था । इसी प्रकार, भारतीय बस्तियों, जो अब बांग्लादेश को अंतरित हो गई हैं, में रह रहे उनतालीस हजार एक सौ छिहत्तर व्यक्तियों में से नौ सौ सतासी व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता को बनाए रखने और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में वास करने का विकल्प लिया था ।

3. संविधान के अनुच्छेद 170 के खंड (2) के अनुसार, जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य को राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, नए क्षेत्रों को उक्त जिले के अंतर्गत आने-वाले सुसंगत संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा में सम्मिलित किया जाना होगा । इसी प्रकार बांग्लादेश को अन्तरित क्षेत्रों को ऐसे राज्यक्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने भारतीय नागरिकता को अर्जित करने या उसे बनाए रखने का विकल्प लिया है, भारत में मताधिकार प्रदान किया जाना अपेक्षित है ।

4. निर्वाचक नियमावलियों में, ऊपर निर्दिष्ट पारिणामिक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को सम्मिलित करने के विचार से और मई, 2016 में पश्चिमी बंगाल राज्य में आसन्न निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग को पश्चिमी बंगाल राज्य के कूच बिहार जिले में समामेलित क्षेत्रों में सीमित परिसीमन करने हेतु सशक्त करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन करना अपेक्षित है ।

5. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 फरवरी, 2016

डी.वी. सदानंद गौड़ा

GMGIPMRND—4350LS(CRC)—19-2-2016.

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	22	4. निर्वाचक नियमावलियों में, ऊपर निर्दिष्ट	4. ऊपर निर्दिष्ट